

सचर कमेटी की रिपोर्ट

PDF Notes

अल्पसंख्यक विकास नीति एवं विकास कार्यक्रमों के रूप में प्रभाव :-

नीतिगत प्रभाव :-

विविधता में एकता के भावपूर्ण पर आधारित एकीकरण की नीति अर्थात् अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक, भाषायी, सांस्कृतिक पहचान को बनाये रखते हुए, उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना एवं उनकी समस्याओं का समाधान करना।

इस तरह एकीकरण की नीति के तहत भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों का निर्माण करके अल्पसंख्यकों के विकास हेतु प्रभाव जारी हैं जिन्हें निम्न रूपों में देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम :-

1. अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग की आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1994 में एक लाभ सहित कंपनी के रूप में

स्थापित।

1. इसका मुख्य उद्देश्य है -

अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, स्वरोजगार एवं आय उत्पन्न करने वाले उद्यमों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराना तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता प्रदान करना।

3. इस निगम के तहत संचालित प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं:-

- (i) सावधि ऋण योजना
- (ii) लघु वित्त पोषण योजना
- (iii) महिला समृद्धि योजना
- (iv) शैक्षिक ऋण योजना
- (v) कौशल से कुशलता योजना
- (vi) विपणन सहायता योजना

अल्पसंख्यक विकास के अन्य कार्यक्रम

- 1. प्रधानमंत्री का नया 15 त्वरी कार्यक्रम - 2006 (समग्र विकास)
- 2. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)-2018 (समग्र विकास)

3. सीधो और कमाओ योजना - 2013-14
(कौशल विकास)

4. उस्ताद योजना - 14 मई 2015
(कौशल विकास)

5. मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल एकादमी (MANAS)
2014 (कौशल विकास)

6. नई मानव योजना - 2015
(शिक्षा एवं कौशल विकास)

7. मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन - 1989
(शिक्षा विकास)

8. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति,
निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बल योजना - 2007
(शिक्षा विकास)

- मैट्रिक एवं छात्रवृत्ति योजना - 2007

- नई उड़ान योजना - 2017

9. मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना - 2009
(शिक्षा विकास)

10. पढो परदेश योजना - 2013-14
(शिक्षा विकास)

11.) नालंदा परियोजना - 4 मार्च 2014
(शिक्षा विकास)

12.) शादी शगुन योजना - 2017
(महिला शिक्षा विकास)

13. नई रेशनी योजना - 2012
(महिला नेतृत्व विकास)

14. जिपो पारसी योजना - 2014
(जनसंख्या संरक्षण)

15. हमारी धरोहर योजना - 2015
(संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण)

नीतिगत एवं योजनागत प्रयासों की समीक्षा
एवं सुझाव

निरूपित रूप से उपरोक्त विकास, विकास योजनाओं के रूप में किए गए प्रयासों से अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति में सुधार हुआ है (उपलाब्धियों की चर्चा करें)

परन्तु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और भारत का अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदायों से भुजी समस्याओं की निरंतरता बनी हुई है। (सच्चाई कमेटी की -

रिपोर्ट / कमिशन / समाप्ताओं की चर्चा करें)

मुद्दा: मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के संदर्भ में अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के लिए विभिन्न कारणों का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जैसे -

1. नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में उनकी आवश्यकताओं, उनकी परिस्थितियों एवं मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जाना।
2. क्रिमान्वयन के स्तर पर वृद्ध रक्षाशक्ति का अभाव, समन्वयन का अभाव, योजनाओं का राजनीतिकरण एवं भ्रष्टाचार - फलतः जनसहभागिता का अभाव।
3. मुद्दा: मुस्लिमों में शिक्षा का अभाव, धार्मिक रूढ़िवादिता, गरीबी आदि की निरंतरता साथ ही जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर।
4. सरकार के पास वित्त का अभाव।

अतः जरूरत है कुछ सुझावों पर भ्रमल करने की; जैसे -

1. विकास नीति एवं विकास कार्यक्रमों का निर्माण उनकी आवश्यकताओं, उनकी परिस्थितियों एवं मूल्यों का ध्यान में रखकर किया जाए।

2. इन्हें दृढ़ वच्चाशक्ति एवं भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए।
3. योजनाओं के राजनीतिकरण पर रोक लगायी जाए।
4. इनके विकास में NGO तथा SHJ जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए।
5. आधुनिक शिक्षा के प्रसार द्वारा अल्पसंख्यकों में विकास के लाभ को प्राप्त करने हेतु तथा जागरूकता विकसित करके विकास की प्रक्रिया में इन्हें सहभागी बनाया जाए।
6. इनको शिक्षित एवं जागरूक करके, समान नागरिक संहिता के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जाये और उनकी स्वीकृति एवं सहयोग से समान नागरिक संहिता को लागू किया जाये।

उस्ताद योजना - 2015

Upgrading the Skills and Training in Traditional Art/Crafts For Development (USTTAD)

विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल एवं प्रशिक्षण का उन्नयन।

- 14 मई 2015 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वाराणसी से प्रारंभ।
- 100% केन्द्र प्रायोजित योजना।

उद्देश्य

1. विद्वहस्त कारीगरों / शिल्पियों का क्षमता निर्माण करना और उनके माध्यम से युवा पीढ़ी को पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण देना।
2. विद्वित पारंपरिक कलाओं का मानक स्थापित करना एवं उन्हें संरक्षण देना।
3. मौजूदा कारीगरों की रोजगार परकता और बीच में पड़ती होइने वाले लोगों की स्थिति को सुधारना।
4. पारंपरिक कौशल का वैश्विक बाजार के साथ संबंध स्थापित करना।
5. शासित पर आ चुके अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर भाजीतिका के साधन रकत्र करना एवं उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना।
6. बढ़ते बाजार में अधिक से अधिक बढ़ते अवसरों का लाभ उठाना एवं इसके लिए उन्हें तक्षम बनाना।

योजना के संघटक

1. विभिन्न संस्थानों के माध्यम से कौशल का उन्नयन तथा पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण।
 2. अनुसंधान एवं विकास हेतु 'उत्पाद फेलोशिप' ताकि इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके।
 3. पारंपरिक कलाओं एवं शिल्पों का संग्रह करने हेतु शिल्प संग्रहालय को सहायता प्रदान करना।
 4. अल्पसंख्यक शिल्पकारों एवं कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु सहायता प्रदान करना।
- इस योजना में शामिल सार्वजनिक भागीदार-

- (i) वस्त्र मंत्रालय
- (ii) संस्कृति मंत्रालय
- (iii) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT)
- (iv) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID)
- (v) भारतीय चैकेजिंग संस्थान (IIP)
- (vi) क्षेत्रीय विपणन संवर्धन परिषद्